ई–पत्रावली संख्या:–34802

प्रेषक,

हरिचन्द्र सेमवाल
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण अनुभाग–02 देहरादून : दिनांक 24 फरवरी, 2023

विषयः मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित अवमाननावाद संख्या–222/2022 मै0 सनी एसोसिएट्स गांधी नगर बाजपुर बनाम श्री हरिचन्द्र सेमवाल, सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन एवं अवमाननावाद संख्या–221/2022 श्री हरिजिन्दर कौर बनाम श्री हरिचन्द्र सेमवाल, सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.11.2022 के क्रम में मद विचलन से उत्पन्न हुई देनदारियों की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित अवमाननावाद संख्या–222/2022 मै0 सनी एसोसिएट्स गांधी नगर बाजपुर बनाम श्री हरिचन्द्र सेमवाल, सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन एवं अवमाननावाद संख्या–221/2022 श्री हरिजिन्दर कौर बनाम श्री हरिचन्द्र सेमवाल, सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.11.2022 के अनुपालना में **रू0 12,40,384.00 (रू0 बारह लाख चालीस हजार तीन सौ चौरासी मात्र)** की धनराशि वित्तीय वर्ष 2022–23 में निम्न प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

i. स्वीकृत कार्यों से भिन्न कार्यों में धनराशि व्यय करने सम्बन्धी वित्तीय अनियमितता करने वाले दोषी अधिकारियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर उक्तानुसार स्वीकृत की जा रही धनराशि 12,40,384.00 (रू0 बारह लाख चालीस हजार तीन सौ चौरासी मात्र) दोषी अधिकारियों के व्यक्तिगत देयकों से वसूल की जायेगी। यह प्रशासनिक विभाग का उत्तरदायित्व होगा। प्रशासनिक विभाग के स्तर पर उक्त अविधिक कार्यवाही से वर्तमान स्थिति उत्पन्न हुई है, जो कदापि उचित नहीं है। अतः प्रशासनिक विभाग इस सम्बन्ध में सभी अधीनस्थों को निर्देशित करेंगें कि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो।

ii. स्वीकृत की जा रही धनराशि के भुगतान के उपरान्त इसकी सूचना शासन को दी जायेगी। धनराशि अवशेष बचने पर अविलम्ब राजकीय कोष में जमा कर दी जायेगी।

iii. उक्त धनराशि उसी मद पर व्यय की जायगी, जिसके लिए यह स्वीकृत की जा रही है।

iv. यह भी सुनश्चित कर लिया जाय कि भविष्य में स्वीकृत योजनाओं के सम्बन्ध में बिना सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किये योजनाओं हेतु स्वीकृत धनराशि का मद विचलन /व्याधिक्य कदापि नहीं किया जायेगा। यदि ऐसा किया जायेगा तो सम्बन्धितों के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

v. प्रकरण में व्यवहृत एस0आई0टी0 की जांच में दोषी पाये जाने वाले विभागीय अधिकारियों के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 में 42–अन्य विभागीय व्यय मद अनुदान संख्या–20 के लेखाशीर्षक–2700 मुख्य सिंचाई–80 सामान्य–001 निदेशन तथा प्रशासन–03–कार्यकारी अधिष्ठान–00–42–अन्य विभागीय व्यय के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त अनुभाग–2 उत्तराखण्ड शासन की कम्प्यूटर जनरेटेड संख्या–I/101563/2023 दिनांक 22 फरवरी, 2023 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक– अलॉटमेण्ट आई.डी.।

भवदीय,

Signed by Hari Chandra Semwal
Date: 24-02-2023 15:04:43

(हरिचन्द्र सेमवाल)
सचिव।

ई–पत्रावली संख्याः–34802,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मा0 सिंचाई मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल को उनके पत्र दिनांक 26.11.2022 के क्रम में।
3. महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड कौलागढ़, देहरादून।
4. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कोलागढ़ रोड, देहरादून।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, हल्द्वानी,नैनीताल।
6. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
7. सिंचाई अनुभाग–1 उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि की वसूली दोषी अधिकारियों के व्यक्तिगत देयकों से किये जाने एवं एस0आई0टी0 जांच रिपोर्ट में दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों के विरूद्ध नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
9. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, सिंचाई खण्ड, हल्द्वानी, नैनीताल।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0एल0शर्मा)
संयुक्त सचिव।